

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :-
वाद पत्र संख्या :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)
145/2019

1. रामचरण आयु 49 साल आ0 गोबरी लाल जाति धाकड़ निवासी श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. रामेश्वर आयु 55 साल आ0 गोबरी लाल जाति धाकड़ निवासी श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. बद्रीलाल आयु 62 साल आ0 गोबरी लाल जाति धाकड़ निवासी श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. गोबरीलाल आयु 75 साल आ0 चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्घे तहसीलदार के0 पाटन

—प्रतिवादीगण

वाद:- अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :-

- 1- वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी की और से श्री महावीर बागड़ी एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांक: 05.11.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 24.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 46 व पुराना 34 की कृषि भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.31 है0, खसरा संख्या 292/660 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 383 रकबा 0.55 है0, खसरा संख्या 418 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 419 रकबा 0.18 है0, खसरा संख्या 421 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 449 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 489 रकबा 0.54 है0, खसरा संख्या 591 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

0.82 है०, कुल किता 9 कुल रकबा 3.47 है० वाके ग्राम व माल श्रीपुरा पटवार क्षेत्र सारसला तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में स्थित है। मूल पुरुष गोबरीलाल है। गोबरीलाल के पुत्र रामचरण, रामेश्वर, बद्रीलाल है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढ़ी दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण पृथक से निवास कर रहे है। स्वयं तथा अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहते है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय या अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/4- 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।


3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 24.10.2019 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:निर्णय:—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 46 व पुराना 34 की कृषि भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.31 है०, खसरा संख्या 292/660 रकबा 0.01 है०, खसरा संख्या 383 रकबा 0.55 है०, खसरा संख्या 418 रकबा 0.28 है०, खसरा संख्या 419 रकबा 0.18 है०, खसरा संख्या 421 रकबा 0.38 है०, खसरा संख्या 449 रकबा 0.40 है०, खसरा संख्या 489 रकबा 0.54 है०, खसरा संख्या 591 रकबा 0.82 है०, कुल किता 9 कुल रकबा 3.47 है० वाके ग्राम व माल श्रीपुरा पटवार क्षेत्र सारसला तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।




(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास - दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के० पाटन

रामचरण v/s गोबरीलाल वगै०

वाद:- अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 145/2019


वादीगण की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर बागड़ी की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

"वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 46 व पुराना 34 की कृषि भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.31 है०, खसरा संख्या 292/660 रकबा 0.01 है०, खसरा संख्या 383 रकबा 0.55 है०, खसरा संख्या 418 रकबा 0.28 है०, खसरा संख्या 419 रकबा 0.18 है०, खसरा संख्या 421 रकबा 0.38 है०, खसरा संख्या 449 रकबा 0.40 है०, खसरा संख्या 489 रकबा 0.54 है०, खसरा संख्या 591 रकबा 0.82 है०, कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.47 है० वाके ग्राम व माल श्रीपुरा पटवार क्षेत्र सारसला तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

नीज ग मुबलिक ग बाबत ग
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ग फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख वसूलवादी तक ग को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.11.2019 को जारी की गई।




(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

